भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3431

31 मार्च, 2023 के लिए प्रश्न

भंडारण में खराब हुई ताजा खाद्यानन्नों की मात्रा

3431. डा. अमर पटनायक:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2018 से मार्च, 2023 तक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के भंडार में क्षतिग्रस्त/बर्बाद हुए फलों और सब्जियों का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(खं) मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की ऐसी क्षति/बर्बादी होने के किन-किन कारणों की पहचान की गई है;

(ग) वर्ष 2018 से मार्च, 2023 तक क्षतिग्रस्त/बर्बाद हुए फलों और सब्जियों की कुल लागत का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय फार्म गेट स्तर पर एक एंड-टू-एंड शीतागार प्रणाली स्थापित करने सहित अन्य नीतिगत प्रस्तावों पर भी विचार कर रहा है;

(ड.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा फलों और सब्जियों का भंडारण नहीं किया जाता है।

(घ) से (च): गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए, केंद्रीय पूल के लिए खरीदे गए खाद्यान्नों का भंडारण वैज्ञानिक तरीके और उचित भंडारण प्रौद्योगिकी को अपनाकर किया जाता है।

****